राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–99/2007

बाबुलाल सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक स्कूल शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न प्रकरण से प्रार्थना की गयी है :–

> It is therefore humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and the relevant record of the case be called and after examining the same the seniority of the appellant be determined from the date of appointment i.e. 15-08-1986 and name of the appellant be placed above to the respondent No.3 in the seniority list and further the case of the appellant be considered for promotion to the post of Teacher Grade II.

2. अतः अपीलार्थी द्वारा इस अपील में उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 15.08.1986 से गणना करते हुए वरिष्ठता का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की सेवाएं उसे नियमित करने की तिथि से गणना की जा कर वरिष्ठता का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी की पूर्व की सेवाएं अस्थायी रूप से थी एवं वह सेवाओं में बाद में नियमित हुआ है। ऐसे में नियमितिकरण की तिथि से उसे वरिष्ठता दी जा सकती है।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3287/2004 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को उसकी सेवाएं प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करके उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश दिये थे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से गिना जाकर उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिया है। अपीलार्थी की सेवा की गणना चयनित वेतनमान के लिए अलग दिनांक से व वरिष्ठता के लिये अलग दिनांक से नहीं की जा सकती है।

5. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी की सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 15.08.1986 से गणना की जाकर वरिष्ठता का लाभ प्रदान करें। इस आदेश की पालना तीन माह में की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)